सं. 8/06/2007-बीपी एंड एल खण्ड-।।
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक, 03 दिसम्बर, 2009

आदेश

डीटीएच लाइसेंस करार के अनुच्छेद 6.4 के अनुसार मंत्रालय को डीटीएच लाइसेंसधारियों से अपने लाइसेंस करार को डीटीएच सेवा की व्यवस्था करने/इनके प्रचालन करने के लिए वित्तीय ऋण/सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इससे पहले इस प्रकार की कोई प्रक्रियाविधि निर्धारित नहीं की गई है कि किन निबंधन और शर्तों के तहत इस प्रकार के अनुरोध पर मंत्रालय विचार करेगा।

2. डीटीएच लाइसेंस करार के अनुच्छेद 2.2 और 6.4 में दिए गए प्रावधानों और दूरसंचार क्षेत्र में अपनायी गई प्रक्रियाविधि के मद्देनजर इस मामले की जांच की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि डीटीएच सेवाओं की व्यवस्था करने/इनके प्रचालन के लिए अपने लाइसेंस करार को वित्तीय ऋण/सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करने के सभी इच्छुक डीटीएच लाइसेंसधारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे डीटीएच सेवाओं की व्यवस्था करने/इनके प्रचालन के लिए वित्तीय ऋण/सहायता प्राप्त करने के लिए इसे प्रदान करने वाले को प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस करार को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने से पहले संलग्न फार्मेट के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने वाले, लाइसेंसधारी और ऋण/सहायता प्रदान करने वाले के बीच त्रिपक्षीय करार सम्पन्न करे। डीटीएच लाइसेंसधारी से यह भी अपेक्षा होगी कि वे संबंधित ऋण/सहायता देने वाले के साथ स्वयं द्वारा सम्पन्न किए गए संबंधित ऋण करारों की प्रतियां प्रस्तुत करे।

(जोहरा चटर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. : 23382597

संलग्नक : यथोपरोक्त

प्रति निम्नलिखित को :-

1. सचिव, दूरसंचार विभाग।
2. सचिव, गृह मंत्रालय।
3. सचिव, राजस्व विभाग।
4. सचिव, टीआरएआई।
5. मैसर्स एएससी एंटरप्राइजेज लि0 (डिश टीवी इंडिया लि0), एफसी-19, सेक्टर 16-ए, नोएडा-201301.
6. मैसर्स टाटा स्काई प्राइवेट लि0, बाम्बे डाइंग ए.ओ. बिल्डिंग, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025.
7. मैसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लि0, 367/369, अन्ना सलाई, त्यानमपेट, चेन्नई.
8. मैसर्स रिलायंस ब्लू मैजिक प्राइवेट लि0, तृतीय तल, रिलायंस एनर्जी सेंटर, सांता क्रूज (ई), मुम्बई-400055.
9. मैसर्स भारत बिजनेस चैनल, मित्तल कोर्ट, 171/सी विंग, 17वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021.
10. मैसर्स भारती टेलीमीडिया लि0, यूनिटेक वर्ल्ड साइबर पार्क, टावर ए, चौथा तल, सेक्टर-39, गुड़गांव, हरियाणा-122001.

त्रिपक्षीय करार

यह त्रिपक्षीय करार निम्नलिखित के बीच .... में दिनांक .... 2009 को सम्पन्न किया गया;

भारत के राष्ट्रपति श्री ...., निदेशक (प्रसारण नीति और विधान) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से कार्य करते हुए (इसमें इसके बाद "लाइसेंस प्रदान करने वालो" कहा गया है);

और

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल .... कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में है श्री .... जिन्हें दिनांक .... के बोर्ड के संकल्प की शर्तों के अनुसार दिनांक .... को निष्पादित किए गए सामान्य मुख्तारनामे के अनुसरण में विधिवत रूप से नियुक्त अटार्नी/प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है (इसमें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)।

और

.... ॠण दाता के रूप में स्वयं कार्य करते हुए और अनुसूची में सूचीबद्ध ॠण दाताओं के लिए अभिकर्ता के रूप में (इसमें इसके बाद "अभिकर्ता" कहा गया है) दिनांक .... के बोर्ड के संकल्प की शर्तों के अनुसार दिनांक .... को निष्पादित किए गए सामान्य मुख्तारनामे के अनुसरण में विधिवत रूप से नियुक्त अटार्नी/प्राधिकृत अधिकारी श्री .... के माध्यम से कार्य करते हुए।

जबकि :

(i) लाइसेंस प्रदान करने वाले और लाइसेंसधारी के मध्य दिनांक .... को सम्पन्न किए गए लाइसेंस करार के तहत लाइसेंस प्रदान करने वाले ने लाइसेंसधारी को डीटीएच प्रसारण सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान किया है जिसमें इन दोनों के मध्य सहमत और इसमें शामिल निबंधन, शर्तों तथा प्रसंविदाओं के आधार पर प्रसारण सेवा की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन की परिकल्पना की गई है।

(ii) उपर्युक्त उल्लिखित लाइसेंस के अनुसरण में लाइसेंसधारी द्वारा डीटीएच परियोजना के वित्तपोषण में सहायता करने तथा इसे सुकर बनाने के लिए पक्षकार लाइसेंस को

अंतरित करने/सौंपने की व्यवस्था करने जैसी कि इस करार में इसके बाद लाइसेंसधारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने से ऋणदाता के हित का संरक्षण करने तथा इसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, के संबंध में निबंधन और शर्तों को रिकार्ड करने की इच्छा रखते हैं।

(iii) ऋण दाता ने लाइसेंसधारी को उस सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है जिस तक वे दोनों आपस में लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित ऋण दाता के साथ सम्पन्न किए गए संबंधित ऋण करार में निर्धारित की गई निबंधनों, शर्तों और प्रसंविदाओं के आधार पर सहमत हुए हैं।

अब यह करार निम्नलिखित प्रकार से साक्ष्य हैं:

अनुच्छेद-1 – परिभाषाएं

इस करार के उद्देश्यार्थ निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित अर्थ होगा :

1.1 "अभिकर्ता" का अर्थ (अभिकर्ता का नाम दें) भारत में स्वयं और ऋणदाताओं के संघ के अन्य सदस्यों जिन्होंने इस परियोजना के लिए लाइसेंसधारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति प्रदान की है, के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कार्य कर रहा भारतीय अनुसूचित बैंक/भारतीय सार्वजनिक वित्तपोषण संस्था/अधिकांशत: भारतीय नियंत्रित गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी है।

(व्याख्या : लाइसेंसधारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने में भागीदारी करने वाली केवल भारतीय वित्तीय संस्था/अनुसूचित बैंक ही अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी)

1.2 "दोषपूर्ण कार्यकलाप" का अर्थ निम्नलिखित में से कोई एक कार्यकलाप होना है:-

(i) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान करने वाले को लाइसेंस करार के तहत लाइसेंस शुल्क अथवा विधिवत रूप से देय अन्य शुल्कों का भुगतान करने में किया गया दोष।

(ii) ऋण करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार सामग्री दोष।

(व्याख्या : 'सामग्री दोष' का अर्थ ऋण करार के तहत लाइसेंसधारी द्वारा किन्हीं दो तिमाही किस्तों अथवा एक छः माही किस्त के मूलधन अथवा ब्याज अथवा दोनों के भुगतान में कम से कम एक माह की अवधि का सतत् दोष अथवा लाइसेंसधारी द्वारा ऋण करार अथवा लाइसेंसधारी द्वारा ऋणदाता के पक्ष में विधिवत रूप से सम्पन्न किए

गए किसी ऐसे दस्तावेज की निबंधन और शर्तों का कोई उल्लंघन जिससे अभिकर्ता की सुविचारित राय में लाइसेंसधारी की परियोजना का कार्य करने अथवा इसे प्रचालित करने की योग्यता पर पर्याप्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, होगा)

1.3 "वित्तीय सहायता" का अर्थ ऋण करारों और/अथवा इनसे संबंधित अनुसूची में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में किन्हीं अन्य संबंधित करारों के तहत ऋणदाता के कारण प्रदान की गई वित्तीय सहायता अथवा जिसे प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई ऐसी वित्तीय सहायता अथवा कोई अन्य धनराशि है।

1.4 "लाइसेंस" का अर्थ डीटीएच प्रसारण सेवा के संबंध में लाइसेंस प्रदान करने वाले और लाइसेंसधारी के मध्य सम्पन्न किए गए दिनांक .... के लाइसेंस करार जिसमें लाइसेंसधारी द्वारा डीटीएच प्रसारण सेवा के प्रचालन के लिए समय-समय पर इसमें किया गया कोई संशोधन भी शामिल है, के तहत प्रदान किया गया लाइसेंस है।

1.5 "ऋणदाता" का अर्थ इसकी अनुसूची में उल्लिखित पक्षकार है और इनमें किसी सिण्डीकेट/भागीदारी वित्तपोषण में शामिल किए गए सिण्डीकेट सदस्य अथवा भागीदार ऋणदाता भी शामिल हैं।

1.6 "ऋणदाता को देय राशि" का अर्थ लाइसेंसधारी द्वारा परियोजना के संबंध में ऋणदाता को प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की धनराशियां जो ऋण करार अथवा परियोजना से संबंधित किसी अन्य संबंधित करारों के तहत आने वाली देय हैं अथवा नहीं, हैं।

1.7 "ऋण करार" का अर्थ लाइसेंसधारी और ऋणदाता अथवा वित्तीय सहायता के संबंध में और इसकी अनुसूची में उल्लिखित ऋणदाताओं के मध्य सम्पन्न किया गया/सम्पन्न किया जाने वाला करार है।

1.8 "परियोजना" का अर्थ भारत में डीटीएच प्रसारण सेवा की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए लाइसेंसधारी की डीटीएच प्रसारण सेवा परियोजना है।

1.9 "चयनित" का अर्थ कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के तहत ऋणदाता द्वारा चुनी गई और इस करार में यथा-उपबंधित लाइसेंस को सौंपने/अंतरित करने के उद्देश्यार्थ लाइसेंस प्रदान करने वाले को प्रस्तावित कोई भारतीय कम्पनी है।

अनुच्छेद-2

वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस को अंतरित करना/सौंपना

1.1 लाइसेंस प्रदान करने वाला एतदद्वारा लाइसेंस को पृष्ठांकित करके इसे अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार ऋणदाता द्वारा चुनी गई चयनित कम्पनी के पक्ष में लाइसेंस को अंतरित करने अथवा सौंपने की सहमति व्यक्त करता है, बशर्ते इसमें दी गई किसी बात से ऋणदाता वैयक्तिक रूप से अथवा सामूहिक रूप से लाइसेंसधारी के रूप में स्वयं इस लाइसेंस के तहत सेवा प्रचालित करने का पात्र नहीं होगा।

2.2 (क) अभिकर्ता लाइसेंसधारी को अधिसूचित करेगा और इसके साथ-साथ लाइसेंस प्रदान करने वाले को किसी सामग्री दोष होने की सहमति के बारे में सूचित करेगा तथा इस प्रकार की सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर लाइसेंसधारी से इसे दूर करने तथा सही करने की अपेक्षा करेगा।

(ख) सामग्री दोष होने की सूचना में ऋण करार के तहत इस प्रकार का दोष होने का साक्ष्य शामिल होगा और यह इस करार के उद्देश्यार्थ लाइसेंसधारी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ग) लाइसेंस प्रदान करने वाला और लाइसेंसधारी एतदद्वारा यह सहमति व्यक्त करते हैं कि यदि दोष होने की सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद यदि लाइसेंसधारी उस दोष को दूर करने अथवा सही करने में असफल रहता है अथवा अयोग्य रहता है तो ऋणदाता लाइसेंस करार के तहत लाइसेंस प्रदान करने वाले के प्रति और उनके ऋण करारों के तहत ऋण प्रदान करने वालों के प्रति लाइसेंसधारी की देनदारियों और कर्त्तव्यों के संबंध में इस प्रकार चयनित की धारणा के आधार पर चयनित को प्रदान किए गए लाइसेंस सहित लाइसेंस की परियोजना से संबंधित सभी परिसम्पत्तियों के साथ इस परियोजना को अपने हाथ में लेने अथवा अंतरित करने के लिए विचार आमंत्रित कर सकता है और प्रस्ताव अथवा निविदा प्राप्त कर सकता है।

(घ) तथापि, इसमें यथा-उपबंधित पात्र चयनकर्ता का लाइसेंस प्रदान करने वाले से अनुमोदन प्राप्त किए जाने तक लाइसेंसधारी लाइसेंस करार के अनुसार परियोजना

की सभी परिसम्पत्तियों के साथ इसके प्रबंधन सहित अपने कर्त्तव्यों का पालन करता रहेगा।

2.3 चयनित स्वयं को परियोजना की परिसम्पत्तियां अंतरित करने संबंधी निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा :

(क) चयनित लाइसेंस करार के तहत अपने दायित्वों, कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को उपयुक्त रूप से पूरा करने में सक्षम होगा।

(ख) चयनित वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करने वाले को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करने में सक्षम होगा और प्रदान करेगा।

(ग) चयनित लाइसेंस प्रदान करने वाले को देय अन्य राशि तथा ऋण प्रदान करने वाले को देय अन्य राशि सहित लाइसेंस शुल्क का अनुमान लगाने में सक्षम होगा और इसके संबंध में अनिवार्य सहमति प्रदान करेगा।

(घ) चयनित अंतरण प्रस्ताव तैयार करते समय सभी अपेक्षित पात्रता तथा समय-समय पर यथा-संशोधित डीटीएच दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मानदंड को पूरा करेगा।

(ड.) इस प्रकार की कम्पनी अथवा उसकी सहयोगी कम्पनी का चयन नहीं किया जाना चाहिए जिसे कोई लाइसेंस प्रदान किया गया था/प्रदान किया गया है और वह दोषी हो गई थी/हो गई है।

(च) सेवा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाले द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित कोई अन्य उपयुक्त मानदण्ड।

2.4 अभिकर्ता अनुच्छेद 2.3 के अनुसार लाइसेंस का अंतरण करने/इसे सौंपने की मांग करने वाले को अधिकार प्राप्त होने के संबंध में लाइसेंस प्रदान करने वाले को अधिसूचित करेगा जिसका लाइसेंस प्रदान करने वाला रिकार्ड रखेगा।

2.5 इस करार के अनुसरण में चयनित को लाइसेंस अंतरित करने/सौंपने से पहले लाइसेंस प्रदान करने वाला स्वयं को इस संबंध में संतुष्ट करेगा कि अनुच्छेद 2.3

के तहत पात्रता मानदण्ड क्या है और इस संबंध में लाइसेंस प्रदान करने वाले का निर्णय अंतिम होगा।

अनुच्छेद-3

लाइसेंस को अंतरित करने/सौंपने तथा पृष्ठांकन का तारीका

3.1 लाइसेंस को अंतरित/सौंपने/पृष्ठांकित करने की मांग करने वाले अभिकर्ता के लिए इसका तरीका नीचे दिए गए अनुसार होगा :

(i) अनुच्छेद 2.2 के अनुसार सूचना देने की तारीख से 30 दिन की अवधि के बाद अभिकर्ता ऋणदाता को देय राशि तथा लाइसेंस प्रदान करने वाले को देय राशि सहित परियोजना से संबंधित लाइसेंसधारी के लाइसेंस सहित चयनित द्वारा परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए प्राइवेट बातचीत अथवा सार्वजनिक नीलामी अथवा निविदाओं के द्वारा पारदर्शी प्रक्रियाविधि के तहत प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है तथा इस संबंध में बातचीत कर सकता है।

(ii) ऋणदाता की ओर से अभिकर्ता लाइसेंस प्रदान करने वाले को इसकी स्वीकृति के लिए चयनित के नाम की सिफारिश करेगा और लाइसेंस प्रदान करने वाले से यह अनुरोध करेगा :

क) ऋणदाता और चयनित के मध्य सहमत शर्तों के अनुसार परियोजना के नेटवर्क को प्रचालित करने के अधिकार को चयनित को अंतरित किया जाए।

ख) मूल लाइसेंस की शेष अवधि के लिए उन्हीं निबंधन और शर्तों के आधार पर चयनित को लाइसेंस पृष्ठांकित और अंतरित किया जाए।

ग) करार में दी गई उन्हीं निबंधन और शर्तों के आधार पर ऋणदाता और चयनित के साथ त्रिपक्षीय करार सम्पन्न किया जाए।

घ) चयनित द्वारा निर्धारित किए गए उपयुक्त अनुप्रयोग के आधार पर सेवा के प्रचालन के लिए आवश्यक डब्ल्यूपीसी, एसएसीएफए और अन्य प्रकार के अनुमोदन, क्लियरेंस, अनुमति को सुकर बनाया जाए।

(iii) लाइसेंस प्रदान करने वाला अनुच्छेद 2.3 और 2.5 के अनुसार निर्धारित और अभिनिर्धारित किए गए मानदण्ड को पूरा करने की शर्त के अधीन और अनुच्छेद 2.2(ग) में यथा-उपबंधित चयनित की देयताओं के आधार पर चयनित के पक्ष में शेष अवधि के लिए लाइसेंस करार में दी गई उन्हीं निबंधन और शर्तों के आधार पर चयनित को मौजूदा लाइसेंस को पृष्ठांकन के माध्यम से अंतरित करने/सौंपने की कार्यवाही करेगा।

(iv) यदि लाइसेंस प्रदान करने वाले को इस करार के अनुसार चयनित के पक्ष में लाइसेंस को अंतरित करने में कोई आपत्ति है, तो वह अभिकर्ता की ओर से किए गए प्रस्ताव के लाइसेंस प्रदान करने वाले को प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अथवा अभिकर्ता की ओर से लाइसेंस प्रदान करने वाले द्वारा कोई स्पष्टीकरण मांगे जाने की अंतिम तारीख इनमें से जो भी बाद में हो तक अभिकर्ता की बात सुनने के बाद इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने अथवा विलम्ब करने के संबंध में विवेकसम्मत आदेश देगा। यदि उपर्युक्त उल्लिखित अवधि में लाइसेंस प्रदान करने वाले की ओर से चयनित के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो बाद की किसी तारीख को इस संबंध में सामग्री तथ्यों के परिणामी अथवा इनमें जानबूझकर गलती करने अथवा इनका अतिक्रमण करने के मामले को छोड़कर चयनित को स्वीकार किया गया माना जाएगा। इसके बाद लाइसेंस प्रदान करने वाला चयनित के संबंध में अपनी स्वीकृति/मानी गई स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर लाइसेंस को अंतरित करेगा/सौंपेगा/पृष्ठांकित करेगा।

तथापि, बशर्ते उपर्युक्त उल्लिखित अस्वीकृति की स्थिति में अभिकर्ता दूसरे चयनित का प्रस्ताव कर सकता है जिसके संबंध में इस प्रकार की स्वीकृति के लिए इस करार में निर्धारित की गई प्रक्रिया पुनः दोहरायी जाएगी और अपनायी जाएगी।

(v) चयनित के चयन के संबंध में लाइसेंस प्रदान करने वाले का निर्णय अंतिम होगा और लाइसेंसधारी और ऋणदाता/अभिकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(vi) इस करार के अनुसरण में अभिकर्ता के सभी कार्य ऋणदाता के लाभ के लिए होंगे और ऋणदाता पर बाध्यकारी होंगे। अभिकर्ता को इस करार के अनुसार परियोजना को अंतरित करने के लिए इस पर विचार करने अथवा इसके संबंध में प्रतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और सभी ऋणदाताओं के लिए तथा की ओर से वैध कार्य दिए गए हैं। अभिकर्ता द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई सभी प्रकार की धनराशि को ऋणदाताओं के लिए बनाए गए और पैदा किए गए विश्वास के अनुसार अपने पास रखेगा और इसे ऋणदाताओं के मध्य किसी परस्पर व्यवस्था द्वारा किए गए यथा-संशोधित करारों के तहत उनके संबंधित अधिकारों के अनुसार वितरित किया जाएगा।

3.2 जब तक लाइसेंस प्रदान करने वाला अन्यथा सहमत न हो, प्रथम अथवा इसके बाद के अवसरों पर चयनित के चयन के लिए अनुच्छेद 3.1 में यथा-निर्धारित सभी कार्य तथा चयनित के पक्ष में लाइसेंस को अंतरित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाले अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य अभिकर्ता दोष होने की सूचना देने की तारीख से छः माह की अवधि अथवा किसी ऐसी अवधि के भीतर पूरा करेगा जिसके संबंध में लाइसेंस प्रदान करने वाले तथा अभिकर्ता ने सहमति व्यक्त की है।

3.3 लाइसेंस प्रदान करने वाला निश्चित रूप से सहमत है और चयनित के पक्ष में लाइसेंस को सौंपने/अंतरित करने सहित इस करार के अनुसरण में किए गए अभिकर्ता अथवा ऋणदाताओं अथवा लाइसेंस प्रदान करने वाले के कार्यों को चुनौती देने के किसी अधिकार का त्याग करता है। लाइसेंसधारी इससे सहमत है और यह पुष्टि करता है कि उसे परियोजना की परिसम्पत्तियों अथवा लाइसेंसधारी के शेयरों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग करने का अधिकार नहीं होगा। लाइसेंसधारी ने इस बात की पुष्टि की है कि ऋणदाता का अधिकार अपरिवर्तनीय है तथा यह किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में प्रतिस्पर्धी नहीं होगा और लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्रदान करने वाले को रोकने, बाधित करने, सीमित करने अथवा आदेश देने अथवा ऋणदाताओं को लाइसेंस को अंतरित करने/सौंपने/पृष्ठांकित करने जैसा कि उन्होंने अभिकर्ता के माध्यम से अनुरोध किया है, के कार्य को करने अथवा करवाने से रोकने का अधिकार नहीं होगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 7.11 के प्रावधान जारी रहेंगे।

3.4 यदि लाइसेंस प्रदान करने वाला लाइसेंस को चयनित से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने का निर्णय लेता है तो वह अंतरण अथवा सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले भावी व्यक्तियों से बोली आमंत्रित करते समय ऋणदाता तथा लाइसेंस प्रदान करने वाले को देय राशियों को ध्यान में रखेगा और इस संबंध में एक उपयुक्त शर्त शामिल करेगा जिस पर ऋणदाता ने इस प्रकार के अंतरण अथवा सुपुर्दगी को प्राप्त करने वालों द्वारा ऋणदाता को देय राशि का भुगतान करने अथवा अधिकार में लेने के संबंध में सहमति व्यक्त की गई है। इस प्रकार का अंतरण प्राप्त करने वालों अथवा सुपुर्दगी प्राप्त करने वालों को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वे या तो ऋणदाता के पूरे ऋण का भुगतान करे अथवा यदि ऋणदाता को देय राशि प्रदान नहीं की गई है अथवा शेष रह गई है तो इस करार जैसा त्रिपक्षीय करार सम्पन्न करे।

3.5 यदि चयनित (उपर्युक्त अनुच्छेद 3.4 में यथा-उपबंधित नये/वैकल्पिक लाइसेंसधारी) की व्यवस्था नहीं होती तो लाइसेंस करार समाप्त कर दिया जाएगा और दोषी लाइसेंसधारी की परिसम्पत्तियां/अवसंरचना का निपटारा प्रथम परिवर्तन/अधिकार/वरीयता प्राप्त लाइसेंस प्रदान करने वाले के साथ इस प्रकार के प्रस्ताव पर कार्यवाही करके उसकी देय राशियों को वसूल करने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार के निपटारे के बाद शेष धनराशि को यथा-संभव सीमा तक ऋणदाता (ऋणदाताओं) की देय राशि के बराबर किया जाएगा और इसके बाद भी शेष राशि यदि कोई हो, को दोषी लाइसेंसधारी को प्रदान किया जाएगा। दोषी लाइसेंसधारी प्रचलित बाजार शक्तियों के अनुसार सभी सुधारात्मक प्रयासों की लागतों को लाइसेंस प्रदान करने वाले को देने के लिए उत्तरदायी होगा और लाइसेंस प्रदान करने वाले का निर्णय सभी प्रकार से अंतिम होगा।

3.6 बशर्ते इस करार की किसी बात की व्याख्या सदैव यह अर्थ लगाने के लिए नहीं की जाएगी कि लाइसेंस प्रदान करने वाले को कोई प्रतिभूति अथवा जमानत प्रदान की गई है और स्पष्ट रूप से यह सहमति व्यक्त की गई है कि ऋणदाता द्वारा लाइसेंसधारी को अग्रिम रूप से प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को वसूल करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई जमानत, प्रतिभूति अथवा प्रति-प्रतिभूति प्रदान नहीं की गई है।

अनुच्छेद-4

सेवा का अंतरिम संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करना

4. इसमें उपर्युक्त रूप से यथा-उपबंधित अथवा किसी अन्य परिस्थिति जो अभिकर्ता की सुविचारित राय में ऋणदाता की प्रतिभूति को प्रतिकूल रूप से और पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकती है, में अभिकर्ता के दोष होने की सूचना जारी करने पर (और लाइसेंसधारी ने 30 दिनों में उसे दूर नहीं किया है) ऋणदाता अपनी प्रतिभूति को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए रिसीवरशिप के संबंध में विधिक संरक्षण कार्यवाही शुरू करने का पात्र होगा। प्रारंभ में अभिकर्ता इस प्रकार की रिसीवरशिप के आधार पर लाइसेंस प्रदान करने वाले अधिसूचित करेगा और इसमें यथा-उपबंधित लाइसेंस के अंतरण/सौंपने/पृष्ठांकन तक सेवा को प्रचालित करेगा किंतु यदि लाइसेंस प्रदान करने वाला रिसीवरशिप का आकलन करने में असफल रहता है तो ऋणदाता न्यायालय के हस्तक्षेप से अथवा न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना लाइसेंस प्रदान करने वाले के साथ किए गए इस करार के अनुसार लाइसेंस को अंतरित करने/सौंपने/पृष्ठांकित किए जाने तक परियोजना के बारे में रिसीवर तथा प्राप्त की जाने योग्य सामग्री की व्यवस्था करने का पात्र होगा। किसी चयनित को प्रदान की गई रिसीवरशिप लाइसेंस के अंतरण/सौंपने/पृष्ठांकन के साथ समाप्त होने वाली होगी। रिसीवर संबंधित रिसीवरशिप की परिसम्पत्तियों का संरक्षण करने का तथा अपनी नियुक्ति के अनुसार अभिकर्ता को रिसीवरशिप का सही और उपयुक्त लेखा-जोखा प्रदान करने का उत्तरदायी होगा। रिसीवर नेटवर्क के ग्राहक आधार का संरक्षण करने तथा लाइसेंस के तहत निर्धारित किए गए कर्त्तव्यों के अनुसार सेवा जारी रखने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा। इस प्रकार की किसी बात के होते हुए भी कि ऋणदाता ने अपनी प्रतिभूति के प्रर्वतन के लिए कोई वसूली अथवा बंधक वाद अथवा कोई अन्य वाद अथवा कार्यवाही शुरू नहीं की है, रिसीवर को लाइसेंस प्रदान करने वाले तथा ऋणदाता की सहमति जैसी कि इसमें निर्धारित की गई है, की सहमति से अथवा रिसीवर की नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई विधिक कार्यवाही के तहत नियुक्त किया जा सकता है। रिसीवर की नियुक्ति अथवा यथा-उपर्युक्त न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति के लिए इस प्रकार की कार्रवाई ऋण करारों के तहत ऋणदाताओं के अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर कोई प्रभाव डाले बिना की जाएगी।

अनुच्छेद-5
लाइसेंस प्रदान करने वाले द्वारा लाइसेंस को समाप्त करना

5.1 लाइसेंस करार के तहत यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे लाइसेंस प्रदान करने वाला लाइसेंस करार को समाप्त करने का पात्र होगा, तो लाइसेंस प्रदान करने वाला लाइसेंस को समाप्त करने के अपने निर्णय को लागू करने से पहले अभिकर्ता को इस संबंध में सूचित करेगा और इस प्रकार के ऋणदाता के निर्णय की सूचना पर अभिकर्ता लाइसेंस प्रदान करने वाले से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार की स्थिति को सही कर सकता है परंतु ऐसा न करने पर लाइसेंस प्रदान करने वाला लाइसेंसधारी अथवा अभिकर्ता को कोई और सूचना दिए बिना लाइसेंस करार को (लाइसेंस प्रदान करने वाले को देय राशि, यदि कोई हो, निर्धारित करने के बाद) ऋणदाता के प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार की शर्त के अधीन समाप्त करने का पात्र होगा।

5.2 अनुच्छेद 5.1 में यथा-उल्लिखित ऐसी किसी परिस्थिति जिससे लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है, पैदा होने की सूचना प्रदान करने और इसे प्राप्त करने के बाद अभिकर्ता इस प्रकार की सूचना पर दोष होने के रूप में विचार करने के लिये तत्काल उपाय करेगा तथा इसमें उपर्युक्त अनुच्छेद 2 और 3 में यथा-उपबंधित प्रक्रियाविधि के अनुसार लाइसेंसधारी की परियोजना को अधिकार क्षेत्र में लेने और भावी चयनित को अंतरित करने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है, बातचीत कर सकता है और इन्हें स्वीकार कर सकता है।

अनुच्छेद-6
ऋणदाता का प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार

6.1 इस प्रकार किसी विवाद अथवा आपत्ति अथवा दावे जिसे लाइसेंसधारी/ऋणदाता/लाइसेंस प्रदान करने वाले के विरूद्ध दायर कर सकता है, के लम्बित रहते हुए भी लाइसेंसधारी एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से इस प्रकार की प्रतिपूर्ति का भुगतान ऋणदाता को करने का प्राधिकार व्यक्त करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से लाइसेंस प्रदान करने वाले द्वारा ऋणदाता को किए गए अथवा कराए जाने वाले प्रतिपूर्ति के भुगतान में ऋणदाता द्वारा प्राप्त किए गए इस प्रकार के भुगतान की सीमा तक लाइसेंसधारी की वैध अदायगी

शामिल होगी। इस प्रकार के सभी भुगतान लाइसेंसधारी की परिसम्पत्तियों के लिए नियुक्त किए गए किसी रिसीवर अथवा परिसमापक को छोड़कर ऋणदाता के पक्ष में तथा उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होंगे।

6.2 लाइसेंसधारी संबंधित चयनित को लाइसेंस प्रदान करने वाले और ऋणदाता को देय राशि तथा अपने नेटवर्क को अंतरित करने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष शुल्क और प्रभार जिनका भुगतान उनकी ओर से किया जा रहा है, के बाद प्रतिपूर्ति की शेष राशि को प्राप्त करने का पात्र होगा।

अनुच्छेद-7
सामान्य

7.1 पक्षकार इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रस्तुत करते हैं और प्रमाणित करते हैं कि वे इस त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्ष्ज्ञर करने तथा इसे सम्पन्न करने के लिए विधिवत रूप से अधिकार प्राप्त हैं और ऋणदाता संघ के सदस्यों ने अपनी ओर से तथा अपने लिए अभिकर्ता को इस त्रिपक्षीय करार को सम्पन्न करने के लिए पूर्णत: प्राधिकृत किया है।

7.2 इस करार के तहत इसमें उपर्युक्त उल्लिखित पतों पर पहले सूचना भेजी जाएगी। किसी पक्षकार के पते में होने वाले किसी परिवर्तन को पंजीकृत पावती डाक से विधिवत रूप से अधिसूचित किया जाएगा तथा अन्य पक्षकारों को इसकी सूचना दी जाएगी।

7.3 इसमें इससे पहले उपयोग की गई "लाइसेंस प्रदान करने वाला" और "लाइसेंसधारी" और "ऋणदाता" और "अभिकर्ता" अभिव्यक्तियों, जब तक इस विषय अथवा संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, में इनके संबंधित प्रतिस्थापिती, उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक और अनुमति प्राप्त संबंधित प्राप्तकर्ता शामिल होंगे।

7.4 किसी ऋणदाता अथवा अभिकर्ता और उत्तराधिकारी को पुन: निर्धारित करने से इस करार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस प्रकार के ऋणदाता अथवा अभिकर्ता इस करार का लाभ प्राप्त करेंगे।

7.5 इस करार में किया गया कोई परिवर्तन अथवा संशोधन संबंधित पक्षकारों के हस्ताक्षर से लिखित में किए गए परिवर्तन अथवा संशोधन की तारीख से प्रभावी होंगे।

7.6 लाइसेंसधारी इस करार अथवा परियोजना को अंतरित करने अथवा सौंपने से संबंधित किसी लिखत के बारे में यथा-लागू स्टाम्प ड्यूटी अथवा अन्य शुल्क, लागतों, प्रभारों और खर्चों को वहन करने के लिए बाध्य होगा और फिलहाल इस प्रकार का भुगतान ऋणदाता द्वारा किए जाने की स्थिति में इस प्रकार के भुगतान को ऋणदाता को देय राशि का भाग माना जाएगा।

7.7 पक्षकार स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस करार को पूर्णतः और उपयुक्त रूप से लागू करने के लिए लाइसेंस करार तथा इस करार को साथ-साथ पढ़ा जाएगा तथा साथ-साथ इनका अर्थ समझा जाएगा।

7.8 इस करार के तहत अभिकर्ता से परामर्श करने, उसकी सिफारिश प्राप्त करने अथवा अनुमोदन प्राप्त करने को सदैव प्रत्येक संबंधित ऋणदाता के परामर्श, सिफारिश अथवा अनुमोदन को प्राप्त करना माना जाएगा।

7.9 इस करार में दी गई किसी बात के होते हुए भी लाइसेंस करार के तहत लाइसेंस प्रदान करने वाले को उपलब्ध अधिकार तथा उपचार सुरक्षित तथा अप्रभावित रहेंगे।

7.10 ऋणदाता के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह उसे उपलब्ध किसी अन्य उपचार को इस करार के प्रावधानों में संबंधित उपाय किए बिना लागू करे अथवा समाप्त करे।

7.11 (i) इस करार के संबंध में अथवा इसके बारे में अथवा इससे पैदा होने वाले किसी विवाद, मतभेद अथवा दावे का निर्णय विवाचन द्वारा किया जाएगा और यह निर्णय विवाचन और सुलह अधिनियम, 1996 (भारत का) के प्रावधानों अथवा इसके किसी संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन के अधीन होगा और भारतीय कानूनों से अभिशासित होगा। विवाचन का स्थान नई दिल्ली में होगा और केवल नई दिल्ली के न्यायालयों को इस प्रकार के करार विवाचन अथवा परियोजना की सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां प्रदान करने अथवा इनका संरक्षण करने से उत्पन्न मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

(ii) विवाचन का तरीका अपनाने से पहले संबंधित पक्षकार उपर्युक्त उल्लिखित किसी विवाद, मतभेद अथवा दावे को आपसी बातचीत से सद्भावना से निपटाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार की बातचीत असफल रहने पर विवाचन का तरीका अपनाया जाएगा।

(iii) विवाद, मतभेद अथवा दावे से संबंधित प्रत्येक पक्षकार एक विवाचक नियुक्त करेगा और विवाचन न्यायाधिकरण अंतिम विवाचक नियुक्त किए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय देगा। इस प्रकार नियुक्त किए गए विवाचक यदि समसंख्यक है, तो इस प्रकार नियुक्त किए गए विवाचक आपसी सहमति दूसरे विवाचक का चयन करेंगे जो विवाचन न्यायाधिकरण के पीठासीन विवाचक के रूप में कार्य करेगा।

अनुसूची

ऋण देने वालों और ऋणों का ब्यौरा

क. ऋण देने वालों की सूची और ऋण/वित्तीय सहायता की राशि

ऋण देने वाले का नाम	ऋण की राशि	ऋण करार की तारीख

ख. ऋणों में सिण्डीकेशन/भागीदारी का ब्यौरा

ग.

जिसके समक्ष पक्षकारों ने इसमें उपर्युक्त उल्लिखित तारीख, माह
और वर्ष में ऋण करार सम्पन्न किया है और मुहर लगाई है।

भारत के राष्ट्रपति के लिये और इनकी ओर से

निदेशक (बीपी एंड एल) द्वारा .... की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये, इसे सील किया गया और प्रदान किया गया

और

श्री .... द्वारा हस्ताक्षर किये गये और प्रदान किया गया

नियुक्त अटार्नी

.... के विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी

.... के लिए और की ओर से

.... तथा .... की उपस्थिति में स्वयं इसके लिए और ऋण प्रदान करने वाले के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए (..........................)

.... और .... लिमिटेड की सामान्य मुहर उसके निदेशक मंडल द्वारा उसकी ओर से पारित संकल्प के अनुसरण में दिनांक .... 2009 को श्री .... और श्री .... जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर इन पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं, की उपस्थिति में इस पर लगाई गई है।